न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/5640/2004/पाली

1 भवंरलाल पुत्र घीसूलाल
2 लक्ष्मण उर्फ पप्पू पुत्र घीसूलाल सभी जाति नाई निवासी कोटबालियान तहसील बाली जिला पाली

अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली
2 चैनसिंह पुत्र मनोहरसिंह
3 मनोहरसिंह पुत्र धोकलसिंह
4 श्रीमती उषा कवंर उर्फ श्रीमती अनुराधा कवंर पुत्री करणसिंह हाल निवासी इन्दोखा खीचीयान तहसील व जिला जोधपुर

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अजीतसिंह राठौड वकील अपीलार्थीगण
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक
श्रीर योगेन्द्रसिंह शक्तावत वकील प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4

निर्णय

दिनांकः.18.9.19

यह अपील धारा 23(2)(अ) राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, पाली द्वारा 8/87 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 23.11.1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि असेसी धोकलसिंह पुत्र जसवन्तसिंह निवासी कोट तहसील बाली के विरूद्ध उप जिलाधीश, बाली ने पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 244/70 दर्ज कर निर्णय दिनांक 18.9.70 से असेसी द्वारा धारण की जाने वाली भूमि को निर्धारित सीमा से अधिक केवल फ्रेगमेन्ट मानकर कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया। राज्य

सरकार ने आदेश क्रमांक एफ.7(91)राज/ग्रुप4/76 दिनांक 8.10.76 से प्रकरण को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2)के अन्तर्गत प्रकरण को पुनः खोले जाने का आदेश देते हुए अतिरिक्त कलक्टर, पाली को भेजा गया। अतिरिक्त कलक्टर, पाली ने प्रकण संख्या 47/76 दर्ज कर निर्णय दिनांक 28.9.79 से असेसी के पास कुल 83.7 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण में होना तथा 30 स्टे0 एकड भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए 53.7 स्टे0 एकड भूमि अधिग्रहण का आदेश दिया। इसके विरूद्व असेसी धोकलसिंह द्वारा राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 23.8.85 से खारिज की गई। तत्पश्चात कुछ हस्तान्तरियों रणजीतमल तथा कान्तिलाल द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जिस पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, पाली द्वारा निर्णय दिनांक 23.11.87 से असेसी स्व0 धोकलसिंह के पास 53.7 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए तथा हस्तान्ततिरियें द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना मानते हुए निर्णय पारित किया गया। इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण ने धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

3. दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने विवादित आराजीयात अभिलेखीय खातेदार से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है तथा उक्त आराजी असेसी धोकलसिंह के धारण में नहीं होकर वर्ष 1961 से धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत डूंगा के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसे अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थीगण व्यथित एवं पीडित पक्षकार हैं। अतः धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

5. धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए तर्क दिया कि आलौच्य निर्णय में अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा आलौच्य निर्णय की पालना में अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1166 को अवाप्त कर सीवायचक दर्ज कर दिये जाने की जानकारी जमाबन्दी की नकल हेतु पटवारी हल्का से मिलने पर दिनांक 13.10.2004 को हुई तब नकल लेकर पूर्ण जानकारी कर यह अपील प्रस्तुत की। सक्षम अधिकारी के आदेश से अभिलेख में खातेदार दर्ज को सुने बिना पक्षकार बनाए बिना अधिकार का अवसान किया गया है। अतः देरी को माफ किया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि ग्राम काटबालियान के साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 221 रकबा 12 बीघा 3 बिस्व भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1132, 1165, 1165 कुल रकबा 6.32 हेक्टर बने हैं, असेसी धोकलसिंह की खातेदारी भूमि में शामिल कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1166 को अवाप्त कर सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है जो अनुचित एवं निराधार है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि साबिक खसरा नम्बर 216 एवं 221 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दिनांक 13.8.1961 को डूंगा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जो कि नामान्तरकरण संख्या 103 से दर्ज रिकार्ड हुए। खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.55 को प्रभाव में आया और धारा 15 में खातेदारी दिनांक 15.10.55 के अनुसार प्रोद्भूत होते है जो दिनांक 25.2.58 से काफी पहले की है। यह खातेदारी अधिकारेां का अन्तरण नहीं था। अपितु विधि के प्रवर्तमान होने, प्रभाव में आने के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत होना थी। अन्तरण को उभयपक्ष सहमति से करते हैं। धारा 15 में भू धारक की सहमति आवश्यक नहीं रहती है। उसके विरोध के उपंरात भी खातेदारी प्रोद्भूत होती है तो दर्ज रिकार्ड होगी। क्योंकि यह अन्तरण नहीं है। असेसी के परिवार से भिन्न व्यक्ति में प्रोद्भूत हुई थी और ऐसी भूमि अवाप्त नहीं की जा सकती है क्योंकि वह भारहीन नहीं थी तथा असेसी के धारण में भी शामिल नहीं मानी जा सकती है। असेसी धोकलसिंह तो उक्त आराजीयात के केवल जागीरदार थे एवं धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विधिक प्रावधानों के अनुसार डूंगा पुत्र इन्द्रा का कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जिससे उक्त आराजी को असेसी धोकलसिंह द्वारा धारित की जाने वाली भूमि में शामिल कर अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। उक्त साबिक खसरा नम्बर 216 एवं 221 जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 की जमाबन्दी में डूंगा पुत्र इन्द्रा के खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी। जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026, 2027 से 2030 में भी डूंगा की खातेदारी में दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अभिलेख को देखे निर्णय पारित किया है जो अनुचित एवं निराधार है। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.2.1968 से डूंगा ने उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया जब से अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात से धोकलसिंह व उनके वारिसान का कोई लेना देना नहीं है। आदेश भारहीन आराजी का था जबकि हमारे नाम दर्ज ले ली जो असेसी के नाम दर्ज नहीं

थी। फिर भी नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 20.6.95 को स्वीकार कर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा धारित भूमि सीलिंग सीमा से बहुत कम है तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

7. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीगण से कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की जा रही है बल्कि असेसी धोकलसिंह के निर्धारित तिथि को धारित भूमि में से ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि अधिग्रहित की जा रही है जिससे अपीलार्थी को व्यथित नहीं माना जा सकता। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपील लगभग 17 वर्ष देरी से प्रस्तुत की जाना कथन करते हुए देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया।

8. गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि असेसी धोकलसिंह के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। असेसी धोकलसिंह द्वारा विवादित आराजीयात का विधिक प्रावधानों के अनुसार हस्तान्तरण नहीं किया गया है जिससे हस्तान्तरण को मान्यता नहीं दी जा सकती। विवादित आराजीयात को सीलिंग कार्यवाही से बचने हेतु ही हस्तान्तरित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

9. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैध हस्तान्तरणों को मान्यता नहीं देकर अधिक से अधिक भूमि अधिग्रहित किये जाने की मंशा से निर्णय पारित किया है। विवादित साबिक खसरा नम्बर 216 एवं 221 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत डूंगा को विधिक प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार दिय गये थे जिससे उक्त आराजी को असेसी द्वारा धारित भूमि में से कम किया जाना चाहिये था। यह हस्तान्तरण विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक प्रावधानों के अनुसार हुआ है। किसी प्रकार का बेचान आदि नहीं है।

10. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

11. नामान्तरकरण संख्या 103 की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत की गई है, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा को धोकलसिंह से हटाकर धारा 15 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के अन्तर्गत डूंगा पुत्र इन्दा नाई को खातेदार करने का अंकन किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में डूंगा पुत्र इन्दा खातेदार दर्ज है। पंजीकृत विकय्र पत्र से वर्ष 1968 में वर्तमान अपीलार्थीगण ने डूंगा से विवादित आराजीयात खरीदी हैं तथा इसके आधार पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में अपीलार्थीगण खातेदार दर्ज किये गये। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय से अपीलार्थीगण प्रभावित एवं व्यथित होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.10.2004 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने गये तब होना कथन करते हुए अपीलार्थी ने इसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय में असेसी धोकलसिंह के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही चली थी जिसमें अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे। जिससे अपीलार्थीगण को तत्काल निर्णय की जानकारी होना नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीगण ने धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है एवं अपील अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

13. अपील के गुणावगुण पर देखने से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त कलक्टर, पाली ने असेसी मृतक धोकलसिंह के विरूद्ध पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर असेसी के धारण में 53.7 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया है। इस आदेश की पालना में वर्तमान खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.75 हेक्टर भी अधिग्रहित की जा रही है तथा जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 में लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 262 से उक्त खसरा नम्बर 1166 सीलिंग में अवाप्त होने से सिवायचक दर्ज की गई है।

14. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 103 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत साबिक खसरा नम्बर 221 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा पर डूंगा पुत्र इन्दा नाई को खातेदारी अधिकार वर्ष 1961 में दिये गये हैं। इससे पूर्व यह आराजी धोकलसिंह पुत्र जसवन्तसिंह असेसी के खातेदारी में थी। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विवादित आराजी खसरा नम्बर 221 पर डूंगा को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात वर्ष 1961 के पश्चात असेसी धोकलसिंह के कोई अधिकार विवादित भूमि पर नहीं रहे। यह हस्तान्तरण सीलिंग कार्यवाही से बचने हेतु किया

जाना नहीं माना जा सकता क्योंकि यह विधिक प्रावधानों के अनुसार काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के परिणाम स्वरूप श्री धोकलसिंह की अपेक्षा किसी अन्य में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत होने का है। काश्तकारी अधिनियम, सीलिंग कानून लागू होने से पूर्व का है तथा इसके आधार पर डूंगा जो कि विवादित आराजी पर काबिज काश्त रहा है के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है। ऐसे हस्तान्तरण को मान्यता दी जाना न्यायोचित एवं विधि अनुरूप है। ऐसी स्थिति में उक्त साबिक खसरा नम्बर 221 के रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा को असेसी मृतक धोकलसिंह द्वारा धारित भूमि में शामिल नहीं किया जा सकता एवं यह अधिग्रहण योग्य नहीं है।

15. मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 221 से नवीन खसरा नम्बर 1165 रकबा 0.06 एवं 1166 रकबा 1.75 हेक्टर बने हैं। नामान्तरकरण संख्या 262 से हाल खसरा नम्बर 1166 को सीलिंग के अन्तर्गत अवाप्त कर सिवायचक दर्ज किया गया है जो उक्तानुसार अनुचित होने से हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं अतिरिक्त कलक्टर, पाली के निर्णय दिनांक 23.11.87 की पालना में हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.75 हेक्टर को अवाप्ति से मुक्त किया जाकर वापस अपीलार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य